"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 जनवरी 2013—पौष 20, शक 1934

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 25-6/2008/नौ/55.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 37 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 25-6/2008/नौ/55, दिनांक 30 सितम्बर, 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री एच. सी. पान्जी, खाद्य निरीक्षक (संविदा) को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्रमांक एफ 25-6/2008/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-01-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 10th January 2013

NOTIFICATION

No. F 25-6/2008/IX/55.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (No. 34 of 2006), and in supersession of Department's Previous Notification No. F. 25-6/2008/IX/55, dated 30 September, 2009, the State Government, hereby appoints Shri H. C. Panjee, Food Inspector (Contract), as Food Safety Officer for the entire State of Chhattisgarh, with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.